

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-6
संख्या-391/दो-6-2019-53(21)/2018
लखनऊ : दिनांक : 13 मार्च, 2019
कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 यथासंशोधित-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री प्रशान्त शर्मा आई०ए०एस० की दिनांक 26-12-2018से अपोलो अस्पताल नई दिल्ली के चिकित्सक के परामर्शानुसार कराई गई जांच पर हुए व्यय के सापेक्ष क्रमशः ₹ 4,94,216 व ₹ 0-26808/- अर्थात् कुल धनराशि ₹ 5,21,024 (रूपये पाँच लाख इक्कीस हजार चौबीस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री प्रशान्त शर्मा, आई०ए०एस० का वेतन आहरित किया जाता है।


अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

संख्या-391(1)/दो-6-2019-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
- (4) अनुभागीय आदेश पुस्तिका/कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग।
- (5) श्री प्रशान्त शर्मा, आई०ए०एस०, विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

संलग्नक:- यथोक्त।

आज्ञा से,

(कमला सिंह यादव)
अनु सचिव।